न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D No-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–808/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–1859/2026
(CNR UPLP01004244-2026)

1–राहुल पुत्र मूलचन्द्र
2–मूलचन्द्र पुत्र ईतवारी
निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर दीना, थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 229/2026
धारा 115(2), 352, 351(3), 105 बी0एन0एस0
थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

10.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण राहुल व मूलचन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 229/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 105 बी0एन0एस0 थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा श्रीमती राजेश्वरी द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 27.04.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 25.04.2026 को उसके पति जगदीश व बेटा रवि कुमार खेत पर गया था तभी उसके परिवार के ही रामबाबू, सूरज, राहुल, मूलचन्द्र ने खेत की मेड़ दबंगई के बल पर तोड़ डाली जब उसके पति व बेटे द्वारा इसका विरोध किया गया तो गाली गलौज करते हुए उसके पति व बेटे पर फावड़े से हमला कर दिया तथा बेटे का गला दबा दिया और और जान से मारने की धमकी दी उक्त मार से उसके पति के सिर मे खुली चोट लगी है तथा बेटे को गुम चोट लगी है रामबाबू ने गोली मारने की धमकी दी। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण रामबाबू, सूरज, राहुल व मूलचन्द्र के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होने कोई अपराध कारित नही किया है।

प्रार्थी/अभियुक्त राहुल घटना के समय मौके पर उपस्थित नही था वह अपनी पत्नी की दवाई लेने गया था प्रार्थी/अभियुक्तगण घटना के समय मौके पर नही थे। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 09.05.2026 से कारागार मे निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे और अदालत के आदेशानुसार मुनासिव जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के पति व पुत्र को फावड़े से मारा गया जिससे आयी चोटो के कारण वादिनी के पति की मृत्यु हो गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के प्राइवेट अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के पुत्र व पति को फावड़े से मारने व उससे आयी चोटो के कारण वादिनी के पति की मृत्यु होने का अभियोग है। प्रश्नगत घटना मे मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चार चोटें दर्शित की गयी है तथा रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण "COMA AS A RESULT OF ANTEMORTEM HEAD INJURIES" से होना अंकित है। वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थी/अभियुक्तगण को घटना कारित करने वाले के रूप में नामित किया है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्तगण की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8— अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण राहुल व मूलचन्द्र का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की एक—एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्तगण के अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
10.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.11 15:21:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court